न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

नामान्तरण अपील 06/2025

सुमेर सिंह पुत्र कजोड जाति गुर्जर निवासी कालोता तहसील दौसा वर्तमान तहसील कुण्डल जिला दौसा

......अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील दौसा वर्तमान तहसील कुण्डल जिला दौसा

... रेस्पों0

अपील विरूद्व नामान्तरकरण सं० 246 दिनांक 30.10.2001 विरासत द्वारा तस्दीक तहसीलदार दौसा

उपस्थित– 1. श्री पदम सिंह, अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 30.7.2025

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा द्वारा ग्राम कालोता के पारित नामान्तरण सं0 246 दिनांक 30.10.2001से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. सर्वप्रथम पत्रावली में संलग्न दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता अपीलांट व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने दफा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि अपीलांट को उक्त गलती की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अब राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आदि की नकल ली तब अपीलांट को यह जानकारी हुई कि विरासत के नामान्तरण में ही अपीलांट का नाम राजेश अंकित हो रहा है जिस पर अपीलांट ने दिनांक 18.3.2025 को तलाश कर नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल अपीलांट को दिनांक 20.3.2025 को हुई इसलिए उक्त अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की जा रही है। अपील पेश करने में हुई देरी काबिले माफी है। अतः अपील पेश करने में हुए देरी को क्षमा फरमाते हुए उक्त अपील को अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि उक्त नामान्तरण आदेश की अपीलांट को पूर्व में ही जानकारी रही है। अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे। उपस्थित अधिवक्तागण की दफा 5 कानून मियाद के बिन्दु पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।
4. तत्पश्चात मूल अपील पर बहस उपस्थित अधिवक्तागण की सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों [illegible] किया कि ग्राम कालोता में आराजी खसरा 1288, 1289, 1290, 1529, 1530, 15[illegible]2[illegible]2, 500, 563, 645, 762, 763, 764, 765 कुल रकबा 8.17 है० स्थि[illegible] रामनिवास पुत्र रामदेव गुर्जर के नाम से थी तथा पटवारी ह[illegible] स्वर्गवास हो जाने [illegible]सकी विरासत का नामान्तरण किशनलाल पुत्र रामनिवास, ह[illegible]सिंह, मीठालाल, महे[illegible]जेश पिसरान कजोड व आनी बेवा कजोड के नाम खोला जाकर तहसीलदार द्वारा दिनांक 30.10.2001 को तस्दीक किया गया है। क्योंकि रामनिवास के दो पुत्र कजोड व किशनलाल हुए तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:00:04 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

अपीलान्ट के पिता कजोड का स्वर्गवास रामनिवास से पूर्व ही हो चुका था। उस वक्त अपीलान्ट व अपीलान्ट के भाई नाबालिग थे तथा अपीलान्ट की मॉ एक अनपढ देहाती महिला थी उसने वक्त नामान्तरण अपीलान्ट का नाम राजेश पुत्र कजोड अंकित करा दिया जबकि राजेश तो अपीलान्ट का लाड प्यार का बचपन का नाम था अपीलान्ट का वास्तविक नाम सुमेरसिंह पुत्र कजोड है तथा अंकतालिका व राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड व ई–श्रमिक कार्ड आदि दस्तावेज में अपीलान्ट का वास्तविक नाम सुमेरसिंह पुत्र कजोड है तथा राजेश व सुमेरसिंह दोनों नाम के एक ही व्यक्ति है तथा राजेश तो अपीलान्ट का लाड प्यार का नाम है। नामान्तरण संख्या 83 खिलाफ कानून नियम उप नियम व पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। वक्त नामान्तरण अपीलान्ट व अपीलान्ट के अन्य भाई हरिसिंह, मीठालाल, महेन्द्र नाबालिग थे तथा अपीलान्ट की माता आनी देवी थी जो अनपढ व कानून कायदो से अनभिज्ञ थी इसलिए उसने मुगालते में गलती से अपीलान्ट का नाम राजेश पुत्र कजोड अंकित करा दिया जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम सुमेरसिंह पुत्र कजोड है। अंकतालिका, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, व जनाधार कार्ड व ई–श्रमिक कार्ड में अपीलान्ट का वास्तविक नाम सुमेरसिंह अंकित है। इन दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट का वास्तविक नाम सुमेरसिंह है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में यह अंकित किया है कि सुमेरसिंह व राजेश दोनों एक ही नाम के व्यक्ति है व दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है। उक्त गलती महज भूलवश व सहवन से अनभिज्ञता के कारण हुई है तथा पटवारी हल्का ने भी नामान्तरण में अपीलान्ट का बचपन का नाम राजेश अंकित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 246 दिनांक 30.10.2001 को निरस्त फरमाते हुए अधिनस्थ तहसीलदार को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जावे कि अपीलान्ट के वास्तविक नाम की जांच कर नामान्तरण में राजेश को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सुमेरसिंह अंकित कर पुनः नामान्तरण तस्दीक करे तथा अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का मौका देने हेतु भी निर्देश फरमाया जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट को पूर्व में ही नामान्तरण खोले जाने से पूर्व ही सही अंकन करवाना था। फिर भी यदि नामान्तरण अपीलांट के नाम ही हद तक दुरूस्त किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। राजकीय अधिवक्ता की एतकरफा बहस पर मनन किया गया।

7. अपीलांट द्वारा नामान्तरण सं0 246 दिनांक 30.10.2001 को निरस्त करने एवं उसके स्थान पर अपीलांट का सही नाम सुमेर सिंह (जो कि सहवन से राजेश कर दिया गया है) करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है।

8. पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि नामान्तरण सं0 246 ग्राम कालोता का पटवारी हल्का द्वारा रामनिवास पुत्र रामदेव कौम गुर्जर के फौत होने पर रामनिवास की विरासत में वारिसान के नाम किशनलाल पुत्र रामनिवास हरिसिंह, मीठालाल, महेन्द्र, राजेश पि0 कजोड, मु0 आनी बेवा कज़ोड कौम गुर्जर के नाम नामान्तरण भरा गया है जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तुलनात्मक अंकन किया गया है। तत्पश्चात दिनांक 30.10.2001 को तहसीलदार दौसा द्वारा नामान्तरण तस्दीक किया गया है। पत्रावली में संलग्न अपीलांट की 8 वीं बोर्ड की अंकतालिका, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, श्रमिक कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट का नाम सुमेर सिंह पुत्र कजोड अंकित है। हम प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा सीधे कोई कार्यवाही नहीं करते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:30:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 246 ग्राम कालोता पर तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2001 को अपीलांट के नाम (सुमेर सिंह पुत्र कजोड गुर्जर) की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आशय से तहसीलदार दौसा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों एवं अपीलांट द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जॉच करते हुए पक्षकारान को साक्ष्य/सुनवाई का अवसर प्रदान कर, उक्त विवादित खसरा नंबर में अन्य पक्षकरान को भी सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एवं अन्य साक्ष्य जो अधीनस्थ न्यायालय को उचित लगे एकत्रित कर, इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अपीलांट दिनांक 11.8.2025 को न्यायालय तहसीलदार दौसा के समक्ष उपस्थित होकर अपने दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत करें जिस पर तहसीलदार दौसा द्वारा अपना आदेश संभवतः 45 दिवस में पारित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 जुलाई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:00:04 IST
Reason: SelfAttested